

MADHYA PRADESH URJA VIKAS NIGAM LIMITED.



(A Govt. of M.P. Undertaking)
Regd. Office:-UrjaBhawan, Link Road No. 02
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.) – 462016
Website:- <https://www.mpuvn.mp.gov.in>



RULE BOOK

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. में मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक लेखाधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु चयन की सामान्य शर्तें

1. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. में मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक लेखाधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर, भारत सरकार, अन्य राज्य से तथा म.प्र.शासन के विभागों / मंडलों/ निगमों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापना हेतु आवेदन MP online के माध्यम से <https://www.mpuvn.mp.gov.in> एवं MP online की [iforms.mponline.gov.in](https://forms.mponline.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है, आमंत्रित किये जावेंगे। जिसके लिए अभ्यर्थी को प्रति आवेदन रु. 600.00 शुल्क Online आवेदन पत्र जमा करते समय भुगतान करना है बिना भुगतान किये आवेदन पत्र online submit नहीं होगा।

2. पदों का विवरण-

क्र.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत वेतनमान	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम आर्हताएं	अनुभव	पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य अभियंता	129700-214300 (L-16)	55	अभियांत्रिकी स्नातक (इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं स्नातकोत्तर (इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स)	भारत सरकार एवं अन्य राज्यों तथा म.प्र. शासन के विभागों/ मंडलों/ निगमों में मुख्य अभियंता पद पर दर्शाये गये वेतनमान में 05 वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय।	01

2	अधीक्षण यंत्री	79900- 211700 (L-14)	55	अभियांत्रिकी स्नातक (इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स)	भारत सरकार एवं अन्य राज्यों तथा म.प्र. शासन के विभागों/ मंडलों/ निगमों में अधीक्षण पद पर दर्शाये गये वेतनमान में 05 वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय।	03
3	कार्यपालन यंत्री	67300- 206900 (L-13)	55	अभियांत्रिकी स्नातक (इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स)	भारत सरकार एवं अन्य राज्यों तथा म.प्र. शासन के विभागों/ मंडलों/निगमों में कार्यपालन यंत्री पद पर दर्शाये गये वेतनमान में 08 वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय।	07
4	सहायक लेखाधिका री	42700- 135100 (L-10)	55	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.com में स्नातक	भारत सरकार एवं अन्य राज्यों तथा म.प्र. शासन के विभागों/ मंडलों/निगमों में कनिष्ठ लेखाधिकारी पद पर 05 वर्ष का न्यूनतम अनुभव वांछनीय। Accounts एवं Taxation में विशेषज्ञता।	02
5	कनिष्ठ लेखाधिका री	32800- 103600 (L-8)	55	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.com में स्नातक	भारत सरकार एवं अन्य राज्यों तथा म.प्र. शासन के विभागों/मंडलों/निगमों में कनिष्ठ लेखाधिकारी पद पर 05 वर्ष का न्यूनतम	03

					अनुभव वांछनीय। Accounts एवं Taxation में विशेषज्ञता।	
--	--	--	--	--	---	--

3. प्रतिनियुक्ति हेतु चयन / सेवाशर्तें :-

1. उपरोक्त समस्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को उनके मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जाँच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में "क" एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में "घ" न हो के अनुरूप होना चाहिए।
2. अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जाँच संस्थित ना हो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हो विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र शासन में लागू नहीं हैं. के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।
4. विभाग को जिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सेवक लेना हो, उसे संबंधित विभाग से कम से कम 03 अधिकारियों के नामों का पैनल मांगना चाहिए। इस प्रकार का पैनल उस संबंधित विभाग को प्रदान करना चाहिए, यदि विभाग प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति देने के लिए सहमत हो।
5. प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में वेतन का विनिमय वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30/11/1988 के अनुसार।
6. साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची निगम की वेब साईट <https://www.mpuvn.mp.gov.in/#/> पर अपलोड की जावेगी एवं आवेदन में अंकित मोबाईल

नंबर पर सूचना दूरभाष/मैसेज के माध्यम से दी जायेगी। अतः आवेदन पत्र में अपना वर्तमान चलित मोबाईल नंबर दिया जाये।

7. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाये।
8. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
9. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
10. विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित है. भविष्य में सेवानिवृत्त / मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपलब्ध पद संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जाएगा। चयन सूची की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।
11. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन MP online के माध्यम से <https://www.mpuvn.mp.gov.in> एवं MP online की [ifforms.mponline.gov.in](https://forms.mponline.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है, आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.07.2026 रात्रि 12.00 बजे तक है।
12. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों को विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन / आवश्यक अनुमोदन से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि./कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के कार्यों से संबंधित पदस्थापना अथवा अन्य कार्यों से संबंधित पदस्थापना की जा सकेगी।
13. प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को विज्ञापन निरस्त / संशोधन करने, चयन प्रक्रिया अवधि आदि शर्तों में संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

4. चयन प्रक्रिया-

1. विज्ञप्ति का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र इकॉनोमिक्स टाइम्स एवं राज्य स्तर का समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं पत्रिका में दिनांक 30.06.2026 को प्रकाशित किया जावेगा।
इच्छुक अभ्यर्थी समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं MP Online द्वारा उनके पोर्टल पर online पंजीयन, Software update करने पर किये जा सकेंगे।

2. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन MP online के माध्यम से <https://www.mpuvn.mp.gov.in> एवं MP online की [iforms.mponline.gov.in](https://forms.mponline.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है, आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.07.2026 रात्रि 12.00 बजे तक है।
3. प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा दिनांक 10.08.2026 को की जावेगी। (संवीक्षा निगम द्वारा बनायी गई कमेटी के द्वारा की जावेगी।
4. आवेदन सही पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक दे दी जावेगी।
5. 01 पद पर 05 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर साक्षात्कार हेतु 01 पद पर 05 अभ्यर्थियों को आहुत किये जाने हेतु कमेटी द्वारा निर्णय लिया जावेगा, जिसमें अधिक अनुभवी अभ्यर्थी को उनके सेवा के वर्ष से संबंधित पद के अनुभव के आधार पर प्रथम 05 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहुत किया जावेगा, इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, म.प्र ऊर्जा विकास निगम लि. के द्वारा लिया जावेगा।
6. साक्षात्कार हेतु पृथक से कमेटी बनायी जावेगी, अंतिम निर्णय हेतु कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नाम पर निर्णय लिये जाने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र ऊर्जा विकास निगम लि. का रहेगा।
7. चयन के संबंध में किसी प्रकार का न्यायिक विवाद के लिए भोपाल न्यायालय में वाद रखा जा सकता है अन्य स्थान पर न्यायालयीन वाद मान्य नहीं होगा।



प्रशासकीय अधिकारी